

राजस्थान-सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : पं.19(3)शिक्षा-6 / 2008

दिनांक : 04.11.2016

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा,
अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरु,
धौलपुर, जयपुर, जालौर, जोधपुर एवं नागौर
राजस्थान।

विषय:- राज्य के समस्त विद्यार्थियों के आधार नामांकन एवं राज्य स्तरीय एवं केन्द्र प्रवर्तित छात्रवृत्ति के समस्त लाभार्थी विद्यार्थी के आधार नामांकन/आधार नम्बर जनरेट करवाकर उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग के संबंध में।

सन्दर्भ :- राज्य सरकार का आदेश दिनांक 04.10.2016 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर का पत्र क्रमांक-शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/निजी/2016-17 दिनांक 05.10.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा 6 से 18 आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों के आधार नामांकन हेतु निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से लिये जाकर छात्रवृत्ति का वितरण आधार सीडिंग बैंक खातों में ही किया जायेगा। इसलिये अतिआवश्यक है कि छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों का आधार नामांकन प्राथमिकता से करवाते हुए समस्त विद्यार्थियों का भी शत-प्रतिशत आधार नामांकन करवाया जाना है। निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के आधार नामांकन में अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इस विषय में DOIT&C विभाग द्वारा से चर्चा एवं समन्वयन कर राज्य की समस्त आधार नामांकन एजेन्सियों के माध्यम से समस्त जिलों में विद्यार्थियों के आधार नामांकन हेतु कैम्प लगाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। उक्त कार्ययोजना के अनुसार DOIT&C विभाग द्वारा दस जिलों क्रमशः अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरु, धौलपुर, जयपुर, जालौर, जोधपुर एवं नागौर में दिनांक 07.11.2016 से आधार नामांकन कैम्प लगाने एवं शेष जिलों में दिनांक 11.11.2016 से आधार नामांकन कैम्प लगाने निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त आदेशों की फोटो प्रति संलग्न करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भित आदेश अनुसार आधार नामांकन एजेन्सी के संबंधित व्यक्ति से व्यक्तिशः सम्पर्क एवं समन्वयन कर आपके जिले में आयोजित किये जाने वाले आधार कैम्पों की कार्ययोजना बनाकर निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।

उक्त कार्ययोजना बनाते समय आपके जिले की परिस्थितियों के साथ-साथ निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावे :-

1. आपके जिले की जिन पंचायतों में विद्यार्थियों का आधार नामांकन न्यून है, वहां पर यथासंभव पंचायत के आदर्श विद्यालय में प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु आधार नामांकन कैम्प आयोजित किया जावे, ताकि अधिक से अधिक

33/10

संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें एवं नामांकन एजेन्सी को कार्य करने में सुविधा हो।

- नामांकन एजेन्सियों के साथ चर्चा कर दिन, समय एवं स्थान पूर्व में निर्धारित कर विद्यार्थियों को सूचित करावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित नामांकन एजेन्सी निर्धारित समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहें, ताकि विद्यार्थियों को कोई असुविधा न हों।
- कैम्प आयोजन से पूर्व पंचायत क्षेत्र के समस्त प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा एवं अन्य राजकीय विद्यालयों को समय से सूचित किया जाये एवं यथासंभव कैम्प का प्रचार-प्रसार किया जायें, ताकि पंचायत क्षेत्र के समस्त विद्यार्थी उक्त कैम्पों से लाभान्वित हो सकें।
- आधार नामांकन हेतु विद्यार्थी के नाम, आयु, लिंग, पता, जन्म तिथि, फोटो, अभिभावकों के नाम इत्यादि के लिये संस्था प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र Photo ID and Address ID के रूप में मान्य है। अतः सुनिश्चित करें कि समस्त संस्था प्रधान उक्तानुसार हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध करायेगें, ताकि किसी भी विद्यार्थी को आधार नामांकन करवाने में असुविधा न हो।
- आपके जिले में लीड बैंक मैनेजर से समन्वयन कर यथासंभव विद्यालयों की निकटतम बैंक शाखा के प्रतिनिधियों को भी आधार नामांकन कैम्प में आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि छात्रवृत्ति हेतु पात्र जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते अभी तक नहीं खुले हैं, उनके बैंक खाते भी यथाशीघ्र खोले जा सकें।
- यदि आधार नामांकन कैम्पों अथवा आधार नामांकन एजेन्सियों से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो श्री दिलीप कुमार, एप्लीकेशन एनेलिस्ट, यू.आई.डी.ए.आई. (सम्पर्क नं. 9799940308) अथवा निदेशालय में छात्रवृत्ति प्रभारी अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करें।

उक्त समस्त कार्ययोजना में छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हुए समस्त विद्यार्थियों के आधार नामांकन की दिशा में कार्यवाही की जानी है। आपसे अपेक्षा है कि आप अपने जिले के समस्त कैम्पों की दिवसवार एवं स्थानवार कार्ययोजना बनाकर दिनांक 07.11.2016 तक निदेशालय प्रारम्भिक एवं माध्यमिक एवं इस विभाग को प्रेषित करेंगे। कैम्पों की प्रगति रिपोर्ट प्रपत्र-अ के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा में वित्तीय सलाहकार महोदय एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा में छात्रवृत्ति प्रभारी अधिकारी श्री संजय सैंगर को प्रतिदिन प्रेषित करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों के आसपास कोई कैम्प नहीं लग रहा है अथवा संस्था प्रधान विद्यार्थियों को कैम्प में ले जाने में असमर्थ हो तो उक्त विद्यालयों के संस्था प्रधान अपने स्तर पर पूर्व निर्देशानुसार परमानेंट आधार नामांकन सेन्टरों एवं ई-मित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों का आधार नामांकन करवायेगें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,



(आभा बनीवाल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
7. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शाला दर्शन प्रभारी को उक्त निर्देश ई-मेल के माध्यम से समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु एवं पोर्टल पर अपडेट करने हेतु निर्देशित करावें।
9. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शाला दर्पण प्रभारी को उक्त निर्देश ई-मेल के माध्यम से समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु एवं पोर्टल पर अपडेट करने हेतु निर्देशित करावें।
10. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
11. श्री दिलीप कुमार एप्लीकेशन एनेलिस्ट, यू.आई.डी.ए.आई. (e-mail: dilip.kumar@uidai.net.in, dilipkumar.uid@rajasthan.gov.in)
12. श्री संजय सैंगर, छात्रवृत्ति प्रभारी अधिकारी, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

उप शासन सचिव

Date: 03 Nov 2016

Office order

To,
Enrolment Agencies,
UID project, Rajasthan

Subject: To setup enrolment camps in schools on urgent basis.

You are required to set up Aadhaar enrollment camps in schools to enroll students. The details regarding block and district allocations have been attached in the letter.

To hold the camps, you are too:

- 1) Co-ordinate with the District Education Officer of the district and plan the camps with him/her in schools in each of the blocks allotted to you. The contact details of the District Education Officer have been attached with the letter.
- 2) You are required to send the details of the number of students enrolled on a weekly basis every Monday- in the Performa attached in Appendix-1 to the DoIT&c - dilip.kumar@uidai.net.in, dilipkumar.uid@rajasthan.gov.in

Please note that a principal/headmaster letter with student details is an acceptable proof of ID and proof of residence to enroll students.

The camps are to start from the 7th November, 2016 and you are to complete coverage of all students in the blocks allotted to you.

A letter regarding the same has been sent to the District Education Officers.



Additional Director

Copy to:

1. Deputy Secretary, Group VI, Dept. Secondary education.
2. All District education officers - Rajasthan



Additional Director

APPENDIX - 1

Name of Enrollment Agency	Name of contact person in enrollment agency hosting the camp	Phone number of the contact person in the agency hosting the camp	Active District	Active Block	Name of School where camp was held	School UDISE Code	Principal Name	Principal Phone Number	Number of Students Enrolled	Dates on which the camps were held	Number of days for which camps were run
---------------------------	--	---	-----------------	--------------	------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---

प्रपत्र-अ

जिला	ब्लॉक	विद्यालय का नाम, जिसमें कैम्प आयोजित किया गया	विद्यालय का यू डार्स कोड	प्राचार्य का नाम	प्राचार्य का सम्पर्क नम्बर	कैम्प आयोजित किये जाने की तिथि / तिथियां	कैम्प में नामांकन करवाने वाले विद्यार्थियों की संख्या (तिथिवार)

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर एवं सील